BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

MA NO 96/2025

IN

OA NO 78/2023

IN THE MATTER OF:

DURGA SINGH PAWAR & ORS …COMPLAINANT

VERSUS

RAJENDERA SINGH DAFOTI & ORS …RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	Affidavit on behalf of Divisional Forest officer, Pithorgarh in compliance of the order dated 10.07.2025 and 18.07.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	1-5
2.	Annexure A Copy of the order dated 10.07.2025	6
3.	Annexure B Copy of the order dated 18.07.2025	7-8
4.	Annexure C Copy of the letter dated 25.04.2024 and 09.05.2024	9-12
5.	Annexure D Copy of the letter dated 27.05.2025	13
6.	Annexure E Copy of the Page no 559 of plantation plan submitted by applicant.	14
7.	Annexure F Copy of the letter no 7747/9-2 dated 30.06.2025	15

Dated 30.07.2025

Filed by:

Adv Anjali Rajput
Counsel for State of Uttarakhand

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH

NEW DELHI

MA NO 96/2025

IN

OA NO 78/2023

नोटरी प्रेम सिंह अधिकारी चम्पावत NOTARIAL NOTARIAL

IN THE MATTER OF:

DURGA SINGH PANWAR & ors ... COMPLAINANT

VERSUS

RAJENDERA SINGH DAFOTI & ORS. ... RESPONDENTS

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER, PITHORGARH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 10.07.2025 AND 18.07.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

Most respectfully showeth:

I Navin Chandra Pant aged about 59 years S/o Late Shri K.N. Pant currently posted as Divisional Forest Officer, Pithoragarh, Government of Uttarakhand do hereby solemnly affirm and declare as under: -

1. I say that I am posted as Divisional Forest Officer, Pithoragarh, Government of Uttarakhand impleaded as respondent no 4 in the instant application and duly competent to swear this affidavit and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the present case.
2. That the present application was filed by the applicant in the disposed of matter which came up for hearing on 10.07.2025 and the Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following order:

"2. no.1 to 4. Notice of the application be issued to the applicant and respondents

3. Notices be also given Dasti to applicant-respondent no.5 for serving notices on the applicant and respondents no. 1 to 4

नोटरी प्रेम सिंह अधिकारी चम्पावत रजि0 05(06)13 उत्तराखंड (भारत)

personally in addition to service of notice on them by the Registry by way of email.

4. List on 18.07.2025 for further consideration."

Copy of the order is Annexed herewith as **ANNEXURE A**

3. That the preset application came up for hearing again on 18.07.2025 and the Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following order:

"2. Learned Counsel for respondents no. 1, 3 and 4 and the learned Counsel for respondent no. 2 seek time to file reply to M.A. No. 96 of 2025 filed by respondent no. 5.

3. Reply to the abovesaid Miscellaneous Application may be filed by respondents no. 1, 3 and 4 and respondent no. 2 within ten days.

4. List on 01.08.2025 for further consideration.

5. Notice of the Miscellaneous Application may also be issued to the original applicant requiring him to file reply to the same at least one day before the date of hearing fixed and to join the proceedings physically or through V.C. on the date of hearing fixed."

नोटरी
प्रेम सिंह अधिकारी
चम्पावत
रजि0 05(06).13
उत्तराखण्ड सरकार

Copy of the order is Annexed herewith as **ANNEXURE B**

4. That in the compliance of the above-mentioned orders present reply affidavit is being filed.

5. That as per directions in order dated 08.11.2023 amended on 28.03.2025 in OA No 78/2023 and as per condition no 2.18 mentioned in Environmental Clearence issued by SEIAA, Uttarakhand, a mandatory requirement exists for the plantation of at least 18,000 saplings and their subsequent maintenance for a period of 3 years. In

Scanned with OKEN Scanner

furtherance to this, a comprehensive tree plantation plan was sent to the present applicant vide no letter no. 7174/9-2 dated 25.04.2024 for plantation of 18300 saplings. That the present applicant was informed vide No. 7541/9-2 dated 09.05.2024 about availability of 20 hectares of open land in Bajeta Forest Panchayat for tree plantation work. That the applicant has neither took any action nor engaged in any communication with this office in this regard. That the copy of the letter dated 25.04.2024 and letter dated 09.05.2024 is annexed as **Annexure C.**

6. That perusal of the order passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 01.05.2024 in OA no 78/2023, the tree plantation plan was presented by the present applicant before Hon'ble NGT, New Delhi, in which certain shortcomings were noticed at the division level, and the same were brought to the notice of this Hon'ble tribunal by this office's letter No. 7822/9-2 dated 27.05.2024. That the copy of the letter dated 27.05.2025 is annexed herewith as **Annexure D.**

नोटरी
प्रेम सिंह अधिकारी
चम्पावत
रजि0 05(06).13

7. That the applicant herein is trying to mislead this Hon'ble tribunal by his letter dated 25.06.2025 requesting Divisional Forest Officer to provide land for plantation, whereas office letter No. 7541/9-2 dated 09.05.2024, 20 hectares of land was already made available to the applicant in Bajeta Forest Panchayat. It is pertinent to mention that the applicant on 13.05.2024 submitted plantation plan before Hon'ble

Scanned with OKEN Scanner

tribunal in original OA 78/2023 and at page 559 of this plan the applicant has admitted to have received 20 hectares land for plantation in Bajeta Van Panchayat. Copy of the Page no 559 of the plantation plan submitted by the applicant is annexed herewith as **Annexure E.**

8. That through office letter no. 7747/9-2 dated 30.06.2025 of the respondent no 4 in reply to the letter dated 25.06.2025 of applicant, informed to make necessary amendments in earlier submitted tree plantation action plan, however the applicant has not submitted any revised plan till date and without amendments in the plantation action plan, there is little possibility of the survival of the saplings. That the copy of the office letter no. 7747/9-2 dated 30.06.2025 is annexed herewith as **Annexure F.**

9. That the present reply on behalf of the Divisional Forest Officer, Pithoragarh is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and kind consideration.

DEPONENT

नोटरी
प्रेम सिंह अधिकारी
चम्पावत
रजि0 05(06).13

L.T.I.

Verification:

I deponent named above, do hereby verify and say that the contents mentioned in the present reply by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no Part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Champawat, Uttarakhand on this 29th day of July, 2025.

DEPONENT

नोटरी
प्रेम सिंह अधिकारी
चम्पावत
रजि0 05(06)

...ly Affirmed before on t...
Date 29.7.25 of at 11...... AM/P...
...ave my self examining the deponent
...hat He/She understanding th...
...ntents of this affidavit.

...EM SINGH ADHIKARI/NOTARY

Scanned with OKEN Scanner

Item No. 01 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Misc Application in Disposed of Cases No. 96/2025
In
Original Application No. 78/2023

Durga Singh Pawar & Ors. Applicants

Versus

Rajendra Singh Dafoti & Ors. Respondents

Date of hearing: 10.07.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicants: Mr. V. K. Shukla, Mr. Madhav Shukla and Mr. Sugam Mishra, Advocates for the Applicant.

ORDER

1. M/s JD Minerals, impleaded as respondent no. 5 in O.A No. 78/2023, has filed present Miscellaneous Application under Section 19 of the National Green Tribunal Act, 2010 seeking permission to remove excavated mineral storage.

2. Notice of the application be issued to the applicant and respondents no.1 to 4.

3. Notices be also given Dasti to applicant-respondent no.5 for serving notices on the applicant and respondents no. 1 to 4 personally in addition to service of notice on them by the Registry by way of email.

4. List on 18.07.2025 for further consideration.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

July 10th, 2025/M

Item No. 11 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Misc Application in Disposed of Cases No. 96/2025
In
Original Application No. 78/2023

Durga Singh Pawar & Ors. Applicants

Versus

Rajendra Singh Dafoti & Ors. Respondents

Date of hearing: 18.07.2025.

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicants: None for the applicants.

Respondents: Ms. Anjali Rajput, Advocate for respondents no. 1, 3 and 4.
Mr. Mukesh Verma, Advocate for respondent no. 2.
Mr. V. K Shukla, Advocate for respondent no. 5 (Applicant in MA).

ORDER

1. None has appeared for the original applicant in the present proceedings.

2. Learned Counsel for respondents no. 1, 3 and 4 and the learned Counsel for respondent no. 2 seek time to file reply to M.A. No. 96 of 2025 filed by respondent no. 5.

3. Reply to the abovesaid Miscellaneous Application may be filed by respondents no. 1, 3 and 4 and respondent no. 2 within ten days.

4. List on 01.08.2025 for further consideration.

5. Notice of the Miscellaneous Application may also be issued to the original applicant requiring him to file reply to the same at least one day before the date of hearing fixed and to join the proceedings physically or through V.C. on the date of hearing fixed.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

July 18th, 2025
M.A in Disposed of Cases No. 96/2025
In Original Application No. 78/2023
AM

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।
E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः— 649 / 9—2 दिनांक, पिथौरागढ़, 17 जुलाई, 2025 ।

सेवा में,

Chairman,
Honourable NGT,
New Delhi.

विषयः— **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 78 / 2023 दुर्गा सिंह पंवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में सादर अवगत कराना है कि OA no. 78/2023 अंतर्गत विचाराधीन प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के निर्देशों तथा SEIAA, उत्तराखण्ड द्वारा जारी पर्यावरणीय अनुमति की **शर्त सं0 2.18** जिसमें कम से कम 18000 पौंधो के वृक्षारोपण एवं 03 साल के अनुरक्षण किये जाने का प्राविधान है के तहत इस कार्यालय के पत्र सं0 7174 / 9—2 दिनांक 25.04.2024 (**पत्र संलग्न**) द्वारा खनन कर्ता राजेन्द्र सिंह दफौटी को 18300 पौंधो के वृक्षारोपण किये जाने हेतु वृक्षारोपण योजना प्रेषित की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र सं0 7541 / 9—2 दिनांक 09.05.2024 (**पत्र संलग्न**) द्वारा खनन कर्ता राजेन्द्र सिंह दफौटी को बजेता वन पंचायत में वृक्षारोपण कार्य हेतु 20 हे0 वृक्ष विहीन भूमि उपलब्ध होने के सम्बन्ध में सूचित किया गया था, परन्तु खनन कर्ता राजेन्द्र सिंह दफौटी द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में न ही कोई कार्यवाही की गयी और न ही इस कार्यालय से इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार किया गया।

अवगत कराना है कि Project Proponent द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 01.05.2024 के क्रम में वृक्षारोपण योजना को मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रभाग स्तर से कतिपय कमियां दृष्टिगत की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0 7822 / 9—2 दिनांक 27.05.2024 द्वारा आपको सूचित किया गया था।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि खनन कर्ता राजेन्द्र सिंह दफौटी द्वारा अपने पत्र (दिनांक 25.06.2025) से गुमराह किया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण हेतु वन भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जबकि इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0 7541 / 9—2 दिनांक 09.05.2024 द्वारा खनन कर्ता को वृक्षारोपण हेतु बजेता वन पंचायत में 20 हे0 भूमि उपलब्ध करा दी गयी थी, जिसका उल्लेख खनन कर्ता राजेन्द्र सिंह दफौटी द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में जमा गयी वृक्षारोपण सम्बन्धी रिपोर्ट में किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। खनन कर्ता राजेन्द्र सिंह दफौटी के उक्त पत्र दिनांक 25.06.2025 का प्रत्युत्तर इस कार्यालय के पत्र सं0 7747 / 9—2 दिनांक 30.06.2025 (**पत्र संलग्न**) द्वारा दिया गया है तथा उनके द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को पूर्व में उपलब्ध करायी गयी वृक्षारोपण योजना में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु भी सूचित किया गया है, जिसमें वर्तमान तक भी कोई उचित संशोधन नहीं किया गया है। सादर अवगत कराना है कि Project Proponent द्वारा यदि वृक्षारोपण योजना में आवश्यक संशोधन नहीं किया जाता है, तो वृक्षारोपण कार्य की सफलता में सुनिश्चितता प्राप्त करना संभव नहीं हो सकेगा। अतःसूचनार्थ सादर प्रेषित।

संलग्नः— यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः— 649 / 9—2 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— सुश्री अंजली राजपूत, पैनल अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वृक्षारोपण योजना पर उपरोक्तानुसार की गयी टिप्पणियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संज्ञान में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 7174/9–2 दिनांक, पिथौरागढ़, 25 अप्रैल, 2024 ।

सेवा में,

राजेन्द्र सिंह दफौटी,
B-54, Judge Farm, Mukhani,
Haldwani - 263139,
Dist. Nainital.

विषयः– **Regarding to provide Van panchayat land of forest land to have plantation nearby your Bajeta soap stone Mine at bajeta, Munsyari, Pithoragarh.**

सन्दर्भः– **इस कार्यालय का पत्र सं0 7050/9–2 दिनांक 15.04.2024।**

उपरोक्त विषयक कम में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र से पूर्व में मात्र 2200 पौंधो (2.0 हे0 क्षे0) के वृक्षारोपण का आंकलन प्रेषित किया गया था, परन्तु SEIAA, उत्तराखण्ड द्वारा जारी पर्यावरणीय अनुमति की **शर्त सं0 2.18 (प्रति संलग्न)** के अनुसार कम से कम 18000 पौंधो के वृक्षारोपण एवं 03 साल के अनुरक्षण किये जाने का प्राविधान है तथा उक्त के अतिरिक्त आपके द्वारा बनाये गये Mining Plan (खनन योजना) में 300 पौंधो के वृक्षारोपण **(प्रति संलग्न)** किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार कुल 18300 पौंधो का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिनका रोपण कैम्पा योजना (1100 पौंध प्रति है0) अनुसार 16.64 हे0 क्षेत्र में विस्तारित किया जायेगा।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.11.2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण अनुसार आप द्वारा रोपित किये गये वृक्षों का उचित रख–रखाव न होने के कारण अधिकांश पौंधे सूखने की अवस्था में पाये गये। अतः रोपित किये जाने वाले पौंधो का वृक्षारोपण, समुचित देख–रेख/अनुरक्षण वन विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाना उचित होगा तांकि रोपित किये गए पौंधो की सफलता सुनिश्चित की जा सके। उपरोक्त कम में वृक्षारोपण कार्य निम्नानुसार 02 चरणों में किया जाएगा, जिसकी आंकलित धनराशि निम्नवत है।

चयनित स्थल का नाम	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे0)	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के स्थायी आदेश सं0 1833/9–3 (1) दिनांक 31.12.2022 द्वारा निर्धारित इकाई दर	आवश्यक धनराशि (रु0 में)
मुनस्यारी रेंज अन्तर्गत वन पंचायत बजेता	**प्रथम चरण**			
	वृक्षारोपण कार्य हेतु अग्रिम मृदा व्यय (वर्ष 2024–25)	8.32	114910/-	956051.2
	वृक्षारोपण कार्य (वर्ष 2025–26)	8.32	59009/-	490954.9
	देख रेख एवं अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष) (2026–27)	8.32	36795/-	306134.4
	देख रेख एवं अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष) (2027–28)	8.32	29341/-	244117.1
	देख रेख एवं अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष) (2028–29)	8.32	30808/-	256322.6
	द्वितीय चरण			
	वृक्षारोपण कार्य हेतु अग्रिम मृदा व्यय (वर्ष 2025–26)	8.32	114910/-	956051.2
	वृक्षारोपण कार्य (2026–27)	8.32	59009/-	490954.9
	देख रेख एवं अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष) (2027–28)	8.32	36795/-	306134.4
	देख रेख एवं अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष) (2028–29)	8.32	29341/-	244117.1
	देख रेख एवं अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष) (2029–30)	8.32	30808/-	256322.6
			योग	4507160.32 or say 4507160.00
				(पैंतालीस लाख सात हजार एक सौ साठ मात्र)

अतः उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण कार्य हेतु आंकलित धनराशि **8443–00–109–01–01 फॉरेस्ट डिपॉजिट मद** में चालान के माध्यम से विभाग के पक्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें, तांकि प्रभाग स्तर से वृक्षारोपण कार्य हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

साथ ही **शर्त सं0 2.18** में यह भी उल्लिखित है कि प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 5.0 मी0 चौड़ाई में झाड़ियों युक्त घना वृक्षारोपण किया जाना है। अतः आप उक्त शर्त के अनुपालन में खनन क्षेत्र के चारों ओर 5.0 मी0 चौड़ाई में झाड़ियों युक्त वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करें।

नोटः– तालिका के कॉलम 04 में दर्शायी गयी दरें वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के स्थायी आदेश सं0 1833/9–3 (1) दिनांक 31.12.2022 के कम में हैं।

संलग्नः– यथोक्त।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़

संख्याः– **7174 /9–2** **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः–
1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः 7541 /9–2 दिनांक, पिथौरागढ़, 09 मई, 2024 ।

सेवा में,

राजेन्द्र सिंह दफौटी,
बजेता माईन,
B-54, Judge Farm, Mukhani,
Haldwani - 263139,
Dist. Nainital.

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 78/2023 दुर्गा सिंह पंवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पत्र सं0 1298/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 08.05.2024 I**

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्न आदेश पारित किया है–

---------9. Respondent no. 4 is directed to furnish details of the Van Panchayat Land to be made available to respondent no.5-Project proponent for plantation on or before 10-05-2024.

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि दिनांक 05.03.2024 को कुन्दन सिंह, सरपंच, बजेता द्वारा वन पंचायत बजेता की आम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि वन पंचायत बजेता में 20 हे0 भूमि वृक्ष विहीन है, जिस भूमि पर वृक्षारोपण कार्य सम्पादित कर बजेता माईन द्वारा किये जा रहे खड़िया खनन से वन संपदा को हो रही क्षति की पूर्ति की जा सके।

अतः उक्त भूमि पर वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्याः– 7541 / 9-2 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– 1. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2. वन क्षेत्राधिकारी, मुनस्यारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त वृक्षारोपण कार्य वन विभाग की देख–रेख में किया जाना है, जिस हेतु आप प्रस्तावक/राजेन्द्र सिंह दफौटी, बजेता माईन द्वारा किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य को अपनी देख–रेख में सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें ताकि किये जाने वाले वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित की जा सके।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 7822 /9–2 दिनांक, पिथौरागढ़, 27, मई, 2024 ।

सेवा में,

Chairman,
Honourable NGT,
New Delhi.

विषयः– **OA no. 78/2023 में Project Proponent द्वारा प्रस्तुत किये गये वृक्षारोपण योजना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में सादर अवगत कराना है कि OA no. 78/2023 अंतर्गत विचाराधीन प्रकरण में Project Proponent द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 01.05.2024 के कम में वृक्षारोपण योजना को मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सादर अवगत कराना है कि सम्बन्धित खनन योजना हेतु प्राप्त एनवायरमेंट क्लीरियेंस (EC) में अधिरोपित शर्त 2.18 के अनुसार Project Proponent द्वारा न्यूनतम 18000 पौंधो का वृक्षारोपण वन विभाग की देख–रेख में किया जाना है।

प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना के अवलोकन करने पर निम्न कमियां पाई गई हैं, जिनका निराकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है–

1. Project Proponent के Mining Plan के अनुसार 05 वर्षों में प्रतिवर्ष 60 पौंधो का रोपण अर्थात कुल 300 पौंधो का रोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसको उक्त वृक्षारोपण योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना में 300 अतिरिक्त पौंधो का भी रोपण सम्मिलित किया जाए।
2. वृक्षारोपण योजना में किसी भी प्रकार का अग्रिम मृदा कार्य (Advance Soil Work) सम्मिलित नहीं किया गया है। अग्रिम मृदा कार्य के अंतर्गत वृक्षारोपण के घेरबाड़, पौध रोपण हेतु गढ्ढे खुदान इत्यादि कार्य भी किये जाते हैं, जिससे वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित की जा सके। अतः वृक्षारोपण योजना में अग्रिम मृदा कार्य को भी सम्मिलित किया जाए।
3. वृक्षारोपण योजना में रोपण की जाने वाली प्रजातियों का चयन स्थलानुसार उपयुक्त नहीं पाया गया है। उक्त प्रजातियों के स्थान पर बांज, बुरांश, तेजपात, आंवला, रीठा, देवदार, अखरोट, पदम, फल्यांट, हरड़ आदि प्रजातियों का रोपण वृक्षारोपण योजना में सम्मिलित किया जाना उचित होगा।
4. एनवायरनमेंट क्लीयेरेंस (EC) में अधिरोपित शर्त के अनुसार Project Proponent द्वारा खनन स्थल के चारो ओर 5 मी0 चौड़ाई में झाड़ियों का रोपण किया जाना है। अतः खनन स्थल के चारो ओर 5 मी0 चौड़ाई में झाड़ियों का रोपण भी वृक्षारोपण योजना में सम्मिलित किया जाए।
5. एनवायरनमेंट क्लीयेरेंस (EC) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कराये जाने वाले वृक्षारोपण का 03 वर्षों तक अनुरक्षण भी किया जाना है, जिस हेतु वृक्षारोपण चौकीदार की व्यवस्था आदि को भी वृक्षारोपण योजना में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्तानुसार Project Proponent द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना में उपरोक्तानुसार पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु Project Proponent को आदेशित करना चाहें।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– 7822 **/9–2** **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– सुश्री अंजली राजपूत, पैनल अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वृक्षारोपण योजना पर उपरोक्तानुसार की गयी टिप्पणियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संज्ञान में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

TO ,

National Green Tribunal,
New Delhi

Subject - Submission of Plantation Plan as Ordered by National Green Tribunal,New Delhi to Mr. Rajendra Dafoti for Bajeta Mines located at Munshiyari ,Pithoragarh Uttarakhand.

With reference to letter no-7541/9-2 issued by District Forest Officer,Pithoragarh to Mr.Rajendra Dafoti dated 9th May 2024 for Planting and post care of 18000 trees as per EIA conditions on 20 ha. land given by Bajeta Van Panchayat.

This plan include several point as follows-

- Brief Summary of Project
- Green Belt area cover by Local Species and as per CPCB guidelines
- Planning
- Budget and Time Frame

M/S J.D. Minerals
Shri Rajenda Singh Dafoti
B-54 Judge Farm,Haldwani U.K

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः 7747 /9–2 दिनांक, पिथौरागढ़, 30 जून 2025 ।

सेवा में,

राजेन्द्र सिंह दफौटी,
बजेता माईन,
B-54, Judge Farm, Mukhani,
Haldwani - 263139,
Dist. Nainital.

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 78/2023 दुर्गा सिंह पंवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, न्यू टकाना कालोनी, पिथौरागढ़ का पत्रांक 330/भ0खनि0 वि0पि0/ 2025–26 दिनांक 09.06.2025 व आपका पत्र दिनांक 25.06.2025।**

उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र से आप द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु आपको भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक सं0 7541/9–2 दिनांक 09.05.2024 द्वारा आपको वृक्षारोपण हेतु खनन स्थल के समीप वन पंचायत में 20 हे0 भूमि उपलब्ध करा दी गयी है (पत्र संलग्न), जिसका उल्लेख आपके द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में जमा की गयी वृक्षारोपण सम्बन्धी रिपोर्ट में भी किया गया है।

अवगत कराना है कि आपके द्वारा जमा की गयी इस वृक्षारोपण योजना जो कि इस कार्यालय को विभाग के अधिकृत पैनल अधिकवक्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी, में कतिपय कमियां पाई गयी, जिनका उल्लेख इस कार्यालय के पत्र सं0 7822/9–2 दिनांक 27.05.2024 के माध्यम से करते हुए दिनांक 28.05.2024 को होने वाली सुनवाई हेतु मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को सूचित किया गया था (प्रति संलग्न)।

परन्तु आप द्वारा वर्तमान तक उक्त वृक्षारोपण योजना में न तो कोई सुधार कर संशोधित योजना इस कार्यलय में उपलब्ध करायी गयी है और न ही आपके द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय से किसी प्रकार का कोई पत्राचार किया गया है।

अतः इस कार्यालय का पत्र सं0 7822/9–2 दिनांक 27.05.2024, जिसमें आपके द्वारा जमा की गयी वृक्षारोपण योजना में प्रदर्शित कमियों को उल्लेखित किया गया है की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि आप तद्नुसार उल्लिखित कमियों/सुझावों के अनुसार वृक्षारोपण योजना संशोधित कर इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वृक्षारोपण योजना उचित पाये जाने पर उक्त योजना अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित/अनुमोदित की जा सके व तद्क्रम में वन क्षेत्राधिकारी मुनस्यारी के नियंत्रण में चयनित वृक्षारोपण स्थल में वृक्षारोपण कार्य सम्पादित होना सुनिश्चित हो सके।

संलग्नः– यथोक्त।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्याः– 7747 /9-2 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला खान अधिकारी, कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, न्यू टकाना कालोनी, पिथौरागढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वन क्षेत्राधिकारी, मुनस्यारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

O/C